भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5685
दिनांक 26 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर में किशोर न्याय प्रणाली

5685. श्री हसनैन मसूदीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जम्मू और कश्मीर में किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय के पास जम्मू और कश्मीर में, जिन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, उनके लिए वैकल्पिक देखभालतंत्र को मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय के पास अनंतनाग या दक्षिण कश्मीर में किसी अन्य स्थान पर, जिन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, उनके लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क): जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, राज्य में किशोर न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के सभी 22 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियां तथा जिला बाल संरक्षण यूनिटें गठित की गई हैं। राज्य के सभी 25 पुलिस जिलों में विशेष किशोर पुलिस यूनिटें गठित की गई हैं। ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर बाल संरक्षण समितियां भी गठित की गई हैं। श्रीनगर एवं जम्मू में मौजूदा 2 संप्रेक्षण गृहों के अलावा वर्ष 2018-19 के दौरान 3 संप्रेक्षण गृह अनुमोदित किए गए हैं। राज्य सरकार ने श्रीनगर एवं जम्मू में लड़कों एवं

लड़कियों के लिए 4 आश्रय गृहों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। राज्य ने राज्य के सभी 22 जिलों में लड़कों एवं लड़कियों के लिए 44 बाल गृहों की स्थापना के लिए भी मंजूरी प्रदान की है। किशोर न्याय बोर्डों को संप्रेक्षण गृहों के साथ वीडीओ कांफ्रेंस सिस्टम से जोड़ा गया है। प्रसूति अस्पताल, श्रीनगर में हैल्प डेस्क के अलावा श्रीनगर एवं जम्मू में 2 क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। राज्य में 1298 बच्चों को प्रायोजकता प्रदान की गई है। उपर्युक्त के अलावा राज्य में कार्यकारिणी समिति एवं शासी समिति द्वारा अभिशासित राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी का गठन किया है। जम्मू एवं कश्मीर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2014 के नियम 89 के तहत, किशोर न्याय प्रणाली की निगरानी के लिए माननीय उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में चयन सह निगरानी समिति गठित की गई है। महिला एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी गठित किया गया है।

(ख) और (ग): सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों का ख्याल रखने के लिए क्रेडल बेबी प्वाइंट स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। वैकल्पिक देखरेख के लिए उपयुक्त व्यक्तियों एवं उपयुक्त संस्थाओं की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान प्रायोजकता के लिए 15000 बच्चों को दर्शाया है।

(घ) और (ड): राज्य सरकार ने अनंतनाग जिला सहित सभी 22 जिलों में लड़कों एवं लड़कियों के लिए बाल गृह स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है जो बाल संरक्षण सेवा (तत्कालीन समेकित बाल संरक्षण स्कीम) के तहत संचालित किए जाएंगे।

*****